न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 320 / 2025 (GCMS : 2025/ 424)

बन्ता सिंह पुत्र श्री ज्वाला सिंह जाति जटसिख निवासी चक 19 आरबी, तहसील गजसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. अजीत गोदारा, **उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), पदमपुर**
2. **बलकरण सिंह** पुत्र श्री सन्ता सिंह जाति जटसिख निवासी चक 2 पीजीएम तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर
3. **सन्ता सिंह** पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह जाति जटसिख निवासी चक 2 पीजीएम तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर
4. **कुलवन्त सिंह** पुत्र श्री गुरबक्श सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी चक 2 पीजीएम तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर
5. **कुलजीत सिह** पुत्र गुरबक्श सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी चक 2 पीजीएम तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर
6. **स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गजसिंहपुर,** जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा गजसिंहपुर
7. **राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, शाखा रायसिंहनगर** जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा रायसिंहनगर
8. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये **तहसीलदार, पदमपुर**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

25.02.2026

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री मोहन लाल माहर एवं अप्रार्थी संख्या 02 के अधिवक्ता श्री गुरबक्श सिंह धारीवाल उपस्थित है। दोनों पक्षों को सुना गया।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि चक 19 आरबी के मुरब्बा नम्बर 3 की 3.289 हैक्टेयर कृषि भूमि में से प्रत्येक का वादी एवं प्रतिवादीगण चक 19 आरबी के मुरब्बा नम्बर 4 का 1.013 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 11 का 1.064 हैक्टेयर कुल 2.077 हैक्टेयर में प्रतिवादीगण संख्या 1, 3, 4, का हिस्सा तथा चक 19 आरबी के मुरब्बा नम्बर 38 की 1.518 हैक्टेयर व बारानी 0.506 हैक्टेयर का अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया था। वाद पत्र के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र दिनांक 15.05.2024 को पेश किया था। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 15.05.2024 को अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी की गयी।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रकरण नियमित सुनवाई में विचाराधीन था। एकाएक दिनांक 08.10.2025 को [illegible] किसी तारीख पेशी के जवाब प्रार्थना पत्र अधिवक्ता प्रार्थी को दिया और कहा कि आज ही बहस करनी है। प्रार्थी के अधिवक्ता ने कहा कि आज तो तारीख पेशी नहीं है। नियमित तारीख पेशी दिनांक 07.11.2025 को कर देगें। पीठासीन अधिकारी ने कहा कि फैसला तो वे नहीं तो दिनांक 07.11.2025 को भी कर सकते है। इस पर प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायलय से न्याय की उम्मीद नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:31:44 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि पीठासीन अधिकारी पर अप्रार्थीगण ने राजनैतिक दबाव बनाया हुआ है और अप्रार्थीगण को कई बार पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में भी आते जाते देखा है। अप्रार्थीगण ऐलानियां कर रहे है कि पीठासीन अधिकारी से हमारी बातचीत हो गयी है और फैंसला हमारे पक्ष में ही होगा। इसलिए प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से न्याय की कोई उम्मीद नहीं होने के कारण न्यायहित में उनके प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरित किया जाता आवश्यक हैं।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी को वर्तमान पीठासीन अधिकारी के व्यवहार से स्पष्ट होता है कि वह प्रार्थी के खिलाफ निर्णय करेगें और प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज कर देंगे। यदि वे प्रार्थना पत्र खारिज कर देंगे तो प्रार्थी को अन्य न्यायालय में चाराजोही करनी होगी। जिससे प्रार्थी को आर्थिक नुकसान होगा। इसलिए प्रार्थी के प्रकरण को वर्तमान पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर से किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना आवश्यक हैं

इसके विपरीत अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि अप्रार्थीगण तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर के निवासी है तथा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के नाम से चक 19 आरबी, गजसिंहपुर में उनके नाम से कब्जा व स्वामित्व की कृषि भूमि है। प्रार्थी स्वयं ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर से स्थगन आदेश प्राप्त किया है, जब अप्रार्थीगण ने पीठासीन अधिकारी को स्टे निरस्त करने के लिए कहा तो प्रार्थीगण ने श्रीमानजी के न्यायालय में मुंतकिली प्रार्थना पत्र पेश किया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण में देरी करना चाहते है और निर्णय पारित करने में बाधा उत्पन्न कर अप्रार्थीगण को परेशान कर रहे है। अप्रार्थीगण का पीठासीन अधिकारी पर किसी प्रकार का कोई राजनैतिक दबाव नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनो पक्षों की सुनवाई कर ही निर्णय पारित किया जा रहा है, इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

मैनें अधीनस्थ न्यायालय की टिप्पणी दिनांक 08.12.2025 का अवलोकन किया और उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तो पाया कि प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित वाद संख्या [illegible] 88,188 आरटीए एवं विविध प्रार्थना पत्र संख्या 85 / 2024 अन्तर्गत धारा 21 [illegible] अनवानी बन्ता सिंह बनाम बलकरण सिंह वगै को अन्यत्र मु[illegible] किया है। उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन करते हुए, उनके न्यायालय में लम्बित उक्त प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुंतकिल करने हेतु कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। इस न्यायलाय को धारा 88, 188 आरटीए एवं 212 आरटीए के प्रकरण के गुण दोष पर विचार नही करना है अपितु इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:31:44 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर

न्यायालय को यह देखना है कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थी को निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना है अथवा नहीं?

प्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया है कि उपखण्ड अधिकारी पर राजनैतिक दबाव व प्रभाव में आकर अनावश्यक रूप से प्रकरण में रूचि ले रहे है, इसलिए उनका प्रकरण अन्य सक्षम न्यायालय में मुंतकिल किया जाये। **मुकद्दमा मुंतकिली के लिए कोई ठोस आधार होना चाहिए। राजनैतिक दबाव देने सम्बन्धी आरोप साधारण प्रकृति का है, जो मुकद्दमा मुंतकिली का कोई ठोस आधार नहीं हो सकता और ऐसा आरोप कभी भी, किसी पर भी किसी भी समय लगाया जा सकता** है। मुकद्दमा मुंतकिली के लिए कोई आधार होना आवश्यक है जिसका इसमें पूर्णतया अभाव है।

न्यायिक दृष्टानत आर.बी.जे. 2009(16) पेज 475 में तो यहां तक कहा गया है कि यदि दोनों पक्ष सहमत हो तो भी प्रकरण स्थानान्तरित नहीं करना चाहिए। प्रकट किया गया अभिमत निम्न प्रकार है:

> **Transfer of case** : Transferring a case without sufficient or adequate reasons even on the basis of consent or convenience of the parties, case cannot be transferred to another Court.

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र फौरी कारणों से मात्र कयास के आधार पर निर्णित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे न्यायिक व्यवस्था में व्यवधान पैदा होता है एवं पीठासीन अधिकारी की साख में कमी आती है। **किसी पक्षकार की आशंका मात्र से यदि प्रकरण मुन्तकिल किया जावे तो अदालतों की विश्वसनीयता पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है, जो न्याय हित में उचित नहीं कहा जा सकता।** बिना ठोस आधार के प्रकरण को एक अदालत से दूसरी अदालत में मुन्तकिल नहीं किया जा सकता। **उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र में किसी प्रकार का कोई बल नहीं होने के कारण इसे खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।**

परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रकरण में अन्य कोई प्रार्थना पत्र हो तो, उसे भी उक्तानुसार खारिज किया जाता है। न्यायहित में अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि **दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करें तथा इस सिद्वान्त को [illegible] न्याय होना ही नहीं चाहिए, परन्तु न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए,** [illegible] हुए विचाराधीन प्रकरण में विधि सम्मत निर्णय पारित [illegible] निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर को भिजवाई जाये। पत्रावली बाद तरतीब [illegible]ल दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:31:44 IST
Reason: Self Attested

यह आदेश आज दिनांक 25.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)

जिला कलक्टर